

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-15
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100537

दिनांक: 05/03/2026

लोक सूचना

श्री BIRDI CHAND MEENA RAJESH MEENA AND RAMKESH MEENA POA SHANKAR LAL SHARMA
पुत्र श्री MAKHAN LAL SHARMA जाति BRAHMAN निवासी WARD NO. 8 BRAHAMANO KA MOHLLA
RAMPURA SHAHPURA RAJASTHAN

श्री RAM LAKHAN MEENA पुत्र श्री KAMAL MEENA जाति MEENA निवासी VILLAGE PILODA TEH.
WAZIRPUR (GANGAPUR CITY) SWAI MADHOPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का फार्म हाउस प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने
अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हेक्टे.)	निर्मित क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	रामपुरा, शाहपुरा (जयपुर)	4.) रामलखन मीणा पुत्र कमल मीणा हिस्सा 3 / 10 जाति मीणा पिलोदा वजीरपुर सवाईमाधोपुर खातेदार 3.) रामकेश मीणा पुत्र केदार मीणा हिस्सा 3 / 10 जाति मीणा मीणा का टापरा कुस्ताला सवाईमाधोपुर खातेदार 1.) बिरदी चंद मीणा पुत्र प्रताप मीणा हिस्सा 3 / 10 जाति मीणा प्रेम नगर सवाई गेटोर जयपुर खातेदार 2.) राजेश मीणा पुत्र बलदेव सिंह मीणा हिस्सा 1 / 10 जाति मीणा माता वैष्णोपुरम खातीपुरा जयपुर खातेदार	305/2513	2.330000	2.33
				कुल	2.33

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के

निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर "**विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें**।" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं ।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **05-03-2026** को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)
DAINIK BHASKAR & JALTEDEEP

प्राधिकृत अधिकारी जोन-15
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

